विनियामक एवं अन्य उपाय

नवंबर 2012

आरबीआई/2012-13/277 बैंपविवि. सं. एफएसडी. बीसी. 53 /24.01.001/2012-13, 05 नवंबर 2012
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

कारपोरेट बांड बाजार - सेबी द्वारा अनुमोदित शेयर बाजारों की सदस्यता के लिए बैंकों को अनुमति

भारत में कारपोरेट बांड बाजार को विकसित करने की दृष्टि से कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में कारपोरेट बांडों में रेपो लेनदेन की अनुमति द्वारा तरलता प्रदान करना, प्राधिकृत रिपोर्टिंग प्लेटफार्मों के द्वारा रेपो लेनदेन सहित कारपोरेट बांडों में ट्रेडिंग से संबंधित सूचना हासिल करके पारदर्शिता बढ़ाना तथा कारपोरेट बांडों में सभी लेनदेन का अनिवार्य निपटान क्लीयरिंग कारपोरेशनों के जरिए करना और क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप्स (सीडीएस) की शुरुआत करके जोखिम अंतरण की सुविधा देना शामिल हैं।

पारदर्शिता में और वृद्धि करने हेतु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को, कारपोरेट बांड बाजार में मालिकाना लेनदेनों को निष्पादित करने के उद्देश्य से, सेबी द्वारा अनुमोदित शेयर बाजारों का सदस्य बनने के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। ऐसा करते समय, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को शेयर बाजारों के सदस्यता संबंधी मानदंडों को पूरा करना चाहिए तथा सेबी और संबंधित शेयर बाजारों द्वारा निर्धारित किए गए विनियामक मानदंडों का भी अनुपालन करना चाहिए।

आरबीआई/2012-13/279 बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 55 /21.04.178/2012-13, 05 नवंबर 2012

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और स्थानीय क्षेत्र बैंक

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 - मौजूदा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv4 से IPv6 की ओर प्रस्थान

जैसा कि आपको ज्ञात होगा, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्प्रेरक के रूप में एवं आज की सूचना प्रधान अर्थव्यवस्था में विविध जन-केंद्रित सेवाओं के प्रभावी माध्यम के रूप में इंटरनेट की भूमिका पर जोर देते हुए भारत सरकार ने हाल ही में अनावरित राष्ट्रीय दूरभाष नीति (एनटीपी)-2012 में सन 2015 तक 'ब्राडबैंड ऑन डिमाण्ड' उपलब्ध कराने की परिकल्पना की है। चूंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल के मौजूदा वर्जन (IPv4) में वेब-पतों की उपलब्धता लगभग समाप्त हो चुकी है, यह तय है कि ब्राडबैंड क्रान्ति अगले चरण के इंटरनेट प्रोटोकॉल (IPv6) का प्रयोग करेगी। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 में IPv6 की भविष्यमुखी भूमिका मानी गयी है और देश में बड़ी संख्या में IPv6 की ओर प्रस्थान करने का लक्ष्य रखा गया है।

2. दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दूरसंचार विभाग ने IPv4 से IPv6 की ओर प्रस्थान करने के लिए पहल की है।

3. चूंकि IPv6 की ओर प्रस्थान एक ऐसी अनिवार्यता है जिसे सक्रियता के साथ अपनाकर लागू करना होगा, सरकार चाहती है कि यह प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से हो न कि अंतिम क्षणों में। उन्होंने सूचित किया है कि सभी भुगतान गेटवे, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, बीमा कंपनियों इत्यादि का उनकी वेबसाइटों सहित नये प्रोटोकॉल में प्रस्थान अधिमानतः दिसंबर 2012 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। आप एक विशेष दल गठित करके निर्धारित समय के भीतर इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

4. यदि आपको IPv6 लागू करने के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/सहायता की आवश्यकता पड़े तो कृपया श्री आर. एम. अग्रवाल, डीडीजी (एनटी), दूरसंचार विभाग (मोबाईल नं. 9868133440) से संपर्क करें जो सभी हितधारकों को संबंधित सहायता उपलब्ध कराने वाली टीम के प्रमुख हैं।

आरबीआई / 2012-13/283ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 43/03.05.90/2012-13, 6 नवंबर 2012

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

शाखा लाइसेंसीकरण नीति - बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाएं खोलना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण ऋण का अभिन्न अंग है और इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की

आशा की जाती है। फिलहाल, हमारे 1 अगस्त 2012 के परिपत्र ग्रा आ ऋ वि.केका.आरआरबी.बीएल. बीसी. सं. 19/ 03.05.90/2011-12 और 18 नवंबर 2010 के परिपत्र ग्राआऋवि.के.का.आरआरबी. बीसी.सं.28/03.05.90-ए/2011-12 में निर्धारित शर्तों का पालन करनेवाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टीयर 2 से टीयर 6 तक के केंद्रों (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 99,999 तक की आबादीवाले) में रिपोर्टिंग करने की शर्त पर हर मामले में पूर्व अनुमति लिए बिना शाखाएं खोलने की अनुमति है। तथापि, टीयर 2 केंद्रों (1,00,000 और उससे अधिक की आबादीवाले) में शाखाएं खोलने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

2. बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाएं खोलने में तेज़ी लाने की आवश्यकता है ताकि बैंकिंग में लोगों के बढ़ते प्रवेश और वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को तेजी से पूरा किया जा सके। यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि कारोबारी प्रतिनिधियों का उपयोग करने के अलावा अधिक संख्या में बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में ईमारती शाखाएं खोलते हुए सभी गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा किया जाए।

3. अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित कुल शाखाओं का 25 प्रतिशत बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (टीयर 5 से टीयर 6 तक के) को आवंटित करें। बैंक रहित ग्रामीण केंद्र से आशय है एक ऐसा ग्रामीण (टीयर 5 और टीयर 6) केंद्र जिसके पास ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनेदेन करने के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का कोई ईमारती स्थान नहीं है।

आरबीआई / 2012-13/290 ग्राआऋवि.केका.एफएसडी. बीसी. सं.45/05.02.02/2012-13, 9 नवम्बर 2012

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

ब्याज सबवेंशन योजना - फसल ऋण के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखना

आप जानते ही हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 की बजट घोषणा के माध्यम से एक ब्याज सबवेंशन योजना लागू की है ताकि किसानों को ₹3.00 लाख तक का अल्पावधि फसल ऋण वार्षिक 7.00 प्रतिशत की घटी हुई दर से प्राप्त हो। उस समय से यह योजना कुछ छोटे-मोटे बदलाव के साथ जारी है। समय पर चुकौती करने के संबंध में वर्तमान में दिए जाने वाले 3 प्रतिशत अतिरिक्त सबवेंशन के साथ किसानों के लिए अल्पावधि फसल ऋण की प्रभावी लागत 4 प्रतिशत हो जाती है। वर्ष 2012-13 के अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने उक्त योजना वर्ष 2012 -13 के लिए जारी रखने की घोषणा की है।

2. तथापि हमारे ध्यान में यह बात आई है कि कई क्षेत्रों में बैंक स्पष्ट रूप से फसल ऋण के रूप में दी गई निधि के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने में चूक गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप लघु और सीमांत किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा खर्च की गई राशि एक उल्लेखनीय मात्रा तक नियत लाभार्थियों तक पहुंची नहीं है। कुछ ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं कि इन फसल ऋणों के उधारकर्ताओं ने इन निधियों को दूसरे काम में लगाया है और कुछ मात्रा में इस योजना में उपलब्ध सबवेंशन की न्यूनतर ब्याज दर पर राशि उधार लेते हुए तथा इन राशियों को सावधि जमाराशियों और/या उच्चतर ब्याज दरवाले अन्य निवेश-मार्ग में निवेशित करते हुए इस योजना को एक अंतरपणन-अवसर के रूप में प्रयुक्त किया है।

3. अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ब्याज सबवेंशन का दावा किए जानेवाले सभी फसल ऋणों के बारे में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित मानदंड पूरे किए जाते हैं यह सुनिश्चित करें:

i. उधारकर्ता एक खेतीहर (किसान) है।

ii. लगाई जानेवाली ब्याज दर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर से अधिक न हो।

iii. ऋण की राशि कृषि ऋणों के लिए वित्त की निर्धारित मात्रा के अनुसार निश्चित की जाती है और ऋण का उपयोग कथित प्रयोजनों के लिए ही किया जाता है।

iv. संवितरण और वसूली दोनों ही मामलो में मौसमिकता का पालन किया जाए।

4. अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे मंजूरी से पूर्व संविक्षा और संवितरण के बाद पर्यवेक्षण की अपनी प्रणाली को पुख्ता बना लें तथा यह सुनिचित करें कि उन सभी फसल ऋणों, जिनकी जमानत पर ब्याज सबवेंशन का दावा किया जाता है, का प्रयोग कथित प्रयोजनों के लिए किया जाता है और निधियों का किसी प्रकार से विपथन नहीं हो रहा है। बैंकों को चाहिए कि वे उक्त मानदंड पूरा न करनेवाले ऐसे ऋणों के लिए कोई ब्याज सबवेंशन का दावा न करें क्योंकि इन्हें कृषि ऋणों के रूप में नहीं माना जाएगा।

आरबीआई/ 2012-13 / 293 बैंपर्यवि.एफआरएमसी.बी सी संख्या 4/23.04.001/2012-13, 15 नवंबर 2012

अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षे.ग्रा.बैंकों को छोड़कर)
तथा भारत के सभी चुनिन्दा वित्तीय संस्थान

धोखाधड़ियाँ - वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग

कृपया हमारे परिपत्र बैंपर्यवि.एफआरएमसी. बीसी.संख्या.1/23.04.001/2012-13 दिनांक 02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र 'धोखाधड़ियां - वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग' का संदर्भ देखें।

2. उपरोक्त उल्लिखित परिपत्र के पैरा 3.4 के अनुसार, धोखाधड़ी का प्रयास करने के मामलों, जहाँ धोखाधड़ी होने पर संभावित रूप से ₹10 मिलियन या उससे अधिक का नुकसान होता, की सूचना बैंकों द्वारा धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को बैंक को धोखा देने का प्रयास असफल रहने या विफल होने के प्रयास की जानकारी मिलने के दो सप्ताह के भीतर की जानी चाहिए।

3. एक समीक्षा उपरांत तथा प्रक्रिया तथा कार्यप्रणालियों को युक्तिसंगत बनाने के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि 'धोखाधड़ियां - वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग' पर मास्टर परिपत्र बैंपर्यवि.एफआरएमसी .बीसी संख्या 1/23.04.001/2012-13 दिनांक 02 जुलाई 2012 के पैरा 3.4 को संशोधित करें। तदनुसार, ₹10 मिलियन तथा उससे अधिक राशि के प्रयास किए धोखाधड़ी के मामलों की सूचना देने की परंपरा को इस परिपत्र की दिनांक से बंद कर दिया जाये।

4. हालांकि, बैंकों को ₹10 मिलियन और उससे अधिक राशि के व्यक्तिगत मामलों को अभी तक ऊपर उल्लिखित मास्टर परिपत्र में दिये निर्देशों के अनुसार इसके बोर्ड की ऑडिट कमिटी के समक्ष प्रस्तुत करना जारी रखना चाहिए ।बोर्ड की ऑडिट कमिटी के समक्ष रखे जाने वाली धोखाधड़ी के प्रयासों की रिपोर्ट में निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाना चाहिएः

- प्रयास की गई धोखाधड़ी की कार्य प्रणाली
- कैसे वह प्रयास धोखाधड़ी में कार्यान्वित नहीं हो पाया या कैसे वह प्रयास असफल / विफल किया गया।
- जहां धोखाधड़ी का प्रयास किया गया वहाँ उस क्षेत्र में लागू किए नई प्रणालियाँ व नियंत्रण
- इसके अतिरिक्त उस वर्ष के दौरान पता लगाए ऐसे मामलों की वार्षिक समेकित समीक्षा जिसमें जहां ऐसे प्रयास किए गए प्रचालनों के ऐसे क्षेत्र की जानकारी, वर्ष के दौरान नए प्रक्रिया तथा कार्यप्रणालियों की प्रभावकारिता, पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की प्रवृति, प्रक्रिया तथा कार्यप्रणालियों में आगे और बदलाव की आवश्यकता की जानकारी, यदि कोई है, इत्यादि 31 मार्च को हर वर्ष, वर्ष से शुरू करते हुए 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष पर, संबन्धित वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर।

आरबीआई/2012-13/296 बैंपविवि. सं. डीआईआर बीसी. 57/13.03.00/2012-13, 19 नवंबर 2012

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

स्वर्ण क्रय के लिए बैंक वित्त

कृपया दिनांक 30 अक्तूबर 2012 को घोषित वार्षिक मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा का पैरा 102 और 103 देखें जिनमें यह प्रस्ताव किया गया है कि बैंकों को सूचित किया जाए कि कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण को छोड़कर स्वर्ण क्रय के लिए किसी भी रूप में वित्त प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

2. दिनांक 1 जून 1978 के परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 74/सी. 124 (पी)-78 द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा स्वर्ण डीलरों/व्यापारियों को स्वर्ण बुलियन की जमानत पर किसी प्रकार का अग्रिम प्रदान नहीं किया जाना चाहिए यदि बैंकों के मूल्यांकन के अनुसार, ऐसे अग्रिम का उपयोग नीलामियों में स्वर्ण क्रय के लिए और/अथवा सट्टेबाजी के प्रयोजन से स्टाक तथा बुलियन रखने के लिए किए जाने की संभावना हो। इस प्रसंग में, हाल के वर्षों में स्वर्ण के आयात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि चिंता का विषय है, क्योंकि बुलियन/प्राथमिक स्वर्ण/आभूषण/स्वर्ण सिक्के इत्यादि किसी भी रूप में स्वर्ण के क्रय के लिए प्रत्यक्ष बैंक वित्तपोषण के परिणामस्वरूप स्वर्ण की मांग और अधिक बढ़ सकती है। तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि प्राथमिक स्वर्ण/स्वर्ण बुलियन/स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण के सिक्कों, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों के यूनिट तथा गोल्ड म्यूचुअल फंडों के यूनिट सहित किसी भी रूप में स्वर्ण क्रय के लिए बैंकों द्वारा किसी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जाना चाहिए। तथापि बैंक जौहरियों/स्वर्णकारों को उनकी कार्यशील पूंजी संबंधी सच्ची आवश्यकताओं के लिए वित्त

प्रदान कर सकते हैं। दिनांक 31 दिसंबर 1998 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. आईबीएस. बीसी/1519/23.67.001/1998-99 में वर्णित तथा समय-समय पर यथासंशोधित स्वर्ण (धातु) ऋण योजना लागू रहेगी।

आरबीआई/2012-13/304 बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 62/21.04.103/2012-13, 21 नवंबर 2012

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा -अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए) तथा आस्तियों की पुनर्रचना

कृपया दिनांक 30 अक्तूबर 2012 को घोषित मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा के 'अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए) तथा अग्रिमों की पुनर्रचना' पर पैरा 93 और 94 देखें ।

2. 'सहायक संघीय व्यवस्था/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण' पर दिनांक 19 सितंबर 2008 के हमारे परिपत्र सं. बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी.46/08.12.001/2008-09 के द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि वे उधारकर्ताओं से उनके द्वारा दूसरे बैंकों से पहले ही ली जा चुकी ऋण सुविधाओं के बारे में घोषणा प्राप्त कर के अनेक बैंकों से क्रेडिट सुविधा लेने वाले उधारकर्ताओं के बारे में अपने सूचना भंडार को सशक्त कर लें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे कम-से-कम तिमाही अंतराल पर निर्धारित फार्मेट में उधारकर्ताओं के खातों के परिचालन की स्थिति से संबंधित सूचना का अन्य बैंकों के साथ आदान-प्रदान करें। उक्त परिपत्र में विनिर्दिष्ट फार्मेट भारतीय बैंक संघ से परामर्श करके निर्धारित किया गया था। सहायक संघीय व्यवस्था/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण पर दिनांक 08 दिसंबर 2008 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 94/08.12.001/2008-09 द्वारा बैंकों को आगे सूचित किया गया था कि सूचना के आदान-प्रदान में अन्य बातों के साथ-साथ उधारकर्ताओं के डेरिवेटिव लेनदेन तथा अरक्षित (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर भी शामिल होने चाहिए।

3. यह पाया गया है कि कुछ समय से बैंकों की अनर्जक परिसंपत्तियां तथा पुनर्रचित ऋणों में महत्वपूर्ण वृद्धि होती जा रही है। बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट का एक महत्वपूर्ण कारण बैंकों द्वारा आपस में क्रेडिट, डेरिवेटिव तथा अरक्षित (अनहेज्ड) करेंसी एक्सपोजरों से संबंधित सूचनाओं का प्रभावी आदान-प्रदान नहीं करना है। इसके अलावा बैंकों के बीच प्रभावी और सामयिक सूचना का आदान-प्रदान न होने से धोखाधड़ी भी घटित हो सकती है।

4. अतः हम सूचित करते हैं कि बैंकों को आपस में क्रेडिट, डेरिवेटिव तथा अरक्षित (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान करने संबंधी अनुदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए तथा दिसंबर 2012 के अंत तक सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। दिनांक 01 जनवरी 2013 से नए/मौजूदा ग्राहकों को किसी भी प्रकार का नया ऋण/तदर्थ ऋण/ऋण का नवीकरण आवश्यक सूचना का आदान-प्रदान/प्राप्त करने के बाद ही मंजूर किया जाना चाहिए।

5. बैंकों द्वारा उक्त अनुदेशों का अनुपालन न किये जाने की बात भारतीय रिज़र्व बैंक गंभीरता से लेगा तथा जहां उपयुक्त समझा जाएगा, वहां उन पर कार्रवाई की जा सकती है जिसमें अर्थदंड लगाना शामिल है।

आरबीआई/2012-13/313 शबैंवि.केंका.बीपीडी (पीसीबी) परि. सं.25/13.01.000/2012-13, 3 दिसंबर 2012

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली, 1985 - स्पष्टीकरण

जैसा कि आप जानते हैं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45-ज़ेडए, 45- ज़ेडसी तथा 45-ज़ेडई के साथ पठित धारा 52 एवं अधिनियम की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली, 1985 बनाई गई है। नामांकन नियमावली में बैंक जमा (फार्म सं डी ए 1, डी ए 2 एवं डी ए 3), सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए सामान (फार्म सं एस सी 1, एस सी 2, एस सी 3), सुरक्षित जमा लॉकर (फार्म सं एस एल 1, एस एल 1 ए , एस एल 2, एस एल 3 एवं एस एल 3 ए) आदि के लिए नामांकन फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। इन फॉर्मों में अन्य बातों के साथ-साथ यह

व्यवस्था है कि खाताधारक के अंगूठे के निशान को दो सक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चहिए।

2. इस संबंध में कुछ बैंकों से हमें निश्चित प्रश्न प्राप्त हुए हैं और हम यह स्पष्टीकृत करते हैं कि सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली, 1985 के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न फार्मों (बैंक जमा के लिए डी ए 1, डी ए 2 एवं डी ए 3 - सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए सामान के लिए एस सी 1, एस सी 2, एस सी 3 - सुरक्षित जमा लॉकर के लिए एस एल 1, एस एल 1 ए , एस एल 2, एस एल 3 एवं एस एल 3 ए) के लिए खाताधारक के अंगूठे के निशान को ही दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना है। खाताधारक के हस्ताक्षरों को दो सक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

3. बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि उक्त स्पष्टीकरण के आधार पर अनुदेशों का कडा अनुपालन सुनिश्चित करें।

—————